रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1989/चैत्र 10, 1911
No. 176] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1989/CHAITRA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

सा. का. नि. 117(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के खण्ड 35 के उप खण्ड (2) की धारा (ग) के साथ पठित उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्न नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 6 में,—

(1) उप नियम (1) की धारा (1) में "या उसके किसी भाग के लिए"—ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे, और

(2) उप नियम (3) में "180" संख्या के स्थान पर "240" संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उप नियम (2) में "या उसके किसी भाग"—ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

4. नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"15क—नियमावली के नियम 4 से 15 तक में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें और ऐसे उपलब्ध अन्य परिलिब्धियां वही होंगी, जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भत्ता) नियमावली, 1986 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों की हैं।

[संख्या क—12018/1/89ए टी]

श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी, अवर सचिव,

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

2. ये प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भविष्य-लक्षी रूप से प्रभावी किया जाएगा और इसका केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पहले से ही कार्यरत किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी:—

मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 10 अगस्त, 1985 को सा. का. नि. संख्या 644 (अ) के रूप में प्रकाशित किया गया था जिन्हें बाद में संशोधन किया गया था अर्थात:—

(i) दिनांक 18-6-1987 का सा०का०नि० सं 583(अ)

(ii) दिनांक 6-1-1988 का सा. का. नि. सं. 9(अ)

(iii) दिनांक 4-2-1988 का सा. का. नि. सं. 79 (अ)

(iv) दिनांक 1-3-1988 का सा. का. नि. सं. 324 (अ)

(v) दिनांक 22-2-1989 का सा. का. नि. सं. 120(अ)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training

NOTIFICATION

New Delhi the 31st March, 1989

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6,—

(1) in clause (1) of sub-rule (1) the words "or a part thereof" shall be omitted and

(2) in sub-rule (3), for the figures "180", the figures "240" shall be substituted.

3. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2) the words "or a part thereof" shall be omitted.

4. After rule 15, the following rule shall be inserted, namely :—

"15A. Notwithstanding anything contained in rule 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and Vice-Chairmen of the Central Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956).

[No. A-12018|5|86-AT]

MRS. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Central Administrative Tribunal already in position.

Footnote : The Principal rules were published vide No. G.S.R. 644(E) dated the 10th August, 1985 in the Gazette of India and subsequently amended vide :

(i) No. GSR 583(E) dated 18-6-1987.

(ii) No. GSR 9(E) dated 6-1-1988.

(iii) No. GSR 79(E) dated 4-2-1988.

(iv) No. GSR 324(E) dated 1-3-1988.

(v) No. GSR 120(E) dated 22-2-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989